



न्यायालय :- नायब तहसीलदार, खुशहालगंज, सरोजनी नगर

पीठासीन अधिकारी का नाम:- अस्था पांडेय

मण्डल : लखनऊ, जनपद : लखनऊ, तहसील : सरोजनीनगर

कम्प्यूटरीकृत वाद संख्या:- T202610460518627

वाद संख्या:- 18627/2026

नायब तहसीलदार प्रवेश कुमार बनाम मुजीब अहमद आदि

उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता - 2006, अंतर्गत धारा:- 34

" अंतिम आदेश "

आदेश तिथि:- 02/06/2026

प्रस्तुत वाद वादी मुख्यमंत्री शहरी विस्तारीकरण योजनान्तर्गत के प्रार्थना पत्र पर प्रारम्भ किया गया उसमे विक्रय पत्र दिनांक 29.11.25 के आधार पर प्रस्तुत हुयी। वाद को दर्ज मिसिलबंद कर नियमानुसार इशतहर जारी किया गया, जो तामिल शामिल, पत्रावली है। दौरान मुकदमा कोई आपत्ति दाखिल नहीं हुयी। वादी ने अपने कथन की पुष्टि में अभिलेखी/मौखिक साक्ष्य में पंजीकृत विक्रय पत्र, इन्तखाब खतौनी व साढ़े बारह एकड़ से अधिक भूमि न होने के सम्बन्ध में शपथ पत्र प्रस्तुत किया है एवं क्षेत्रीय लेखपाल के बयान अंकित कराये। यह विक्रय विलेख उ०प्र० राजस्व संहिता 2006 की धारा 88, 89, 90, 97, 98, 99 के प्राविधानों के प्रतिकूल नहीं है। अतः उक्त वाद निर्विवाद होने के कारण नामांतरण आदेश पारित करने में कोई विधिक बाधा प्रतीत नहीं होती है। अतः निम्नवत आदेश पारित किया जाता है।

आदेश

अतः आदेश दिया जाता है कि ग्राम दोना, परगना काकोरी, तहसील सरोजनी नगर, जिला लखनऊ की खतौनी 1426 से 1431 फसली के खाता संख्या 00512 की खसरा सं० 337 कुल रकबा 0.1930 हे० में से विक्रीत रकबा 0.0482 हे०, खसरा सं० 1155 कुल रकबा 0.2280 हे० में से विक्रीत रकबा 0.0570 हे०, खसरा सं० 1752 कुल रकबा 0.0250 हे० में से विक्रीत रकबा 0.0062 हे० खसरा सं० 1742 का कुल रकबा 0.0430 हे० में से विक्रीत रकबा 0.0106 हे०, खसरा सं० 164 का कुल रकबा 0.4830 हे० में से विक्रीत रकबा 0.1206 हे०, खसरा सं० 1760 का कुल रकबा 0.0950 हे० में से विक्रीत रकबा 0.0236 हे०, खसरा सं० 545 का कुल रकबा 0.1900 हे० में से विक्रीत रकबा 0.0474 हे०, खसरा सं० 1111 का कुल रकबा 0.1520 हे० में से विक्रीत रकबा 0.0190 हे०, खसरा सं० 1398 का कुल रकबा 0.0630 हे० में से विक्रीत रकबा 0.0078 हे०, खसरा सं० 1177 का कुल रकबा 0.1010 हे० में से विक्रीत रकबा 0.0126 हे०, खसरा सं० 1375 का कुल रकबा 0.0130 हे० में से विक्रीत रकबा 0.0016 हे०, खसरा सं० 1397 का कुल रकबा 0.0510 हे० में से विक्रीत रकबा 0.0062 हे०, खसरा सं० 304सं का कुल रकबा 0.1260 हे० में से विक्रीत रकबा 0.0630 हे०, खसरा सं० 304सं का कुल रकबा 0.7660 हे० में से विक्रीत रकबा 0.1260 हे०, खसरा सं० 304सं का कुल रकबा 0.2530 हे० में से विक्रीत रकबा 0.0632 हे०, खसरा सं० 2936 का कुल रकबा 0.2890 हे० में से विक्रीत रकबा 0.1260 हे०, कुल रकबा 3.5754 हे० में से विक्रीत रकबा 0.7574 हे० अर्थात् विक्रेता का सम्पूर्ण भाग मा०गु० 60ख से विक्रेता श्री मुजीब अहमद व श्री तहजीब अहमद रोफ पुत्रगण मो० रउफ निवासीगण-दोना, लखनऊ का नाम निरस्त करके क्रेता मुख्यमंत्री शहरी विस्तारीकरण योजनान्तर्गत वरूण विहार आवासीय योजना लखनऊ विकास प्राधिकरण लखनऊ द्वारा ज्ञानेन्द्र प्रताप शुक्ला पुत्र अंजनी कुमार शुक्ला लखनऊ विकास प्राधिकरण का नाम बतौर संक्रमणीय भूमिधर द्वारा विक्रय पत्र दिनांक 29.11.25 अंकित किया जाये। वाद अमलदरामद पत्रावली दाखिल दफ्तर हो।

Disclaimer :

उपरोक्त सूचना मात्र सूचनार्थ है तथा राजस्व न्यायालय कम्प्यूटरीकृत प्रबन्धन प्रणाली (RCCMS) में उपलब्ध अद्यतन सूचना पर आधारित है, इस सूचना की कोई विधिक मान्यता नहीं होगी। वास्तविक सूचना की पुष्टि सम्बंधित न्यायालय / न्यायालयों की पत्रावली / पत्रावलियों से की जा सकती है।"

Court Order Print



न्यायालय :- नायब तहसीलदार, बिजनौर (पी-2)
पीठासीन अधिकारी का नाम :- शालिनी तिवारी
मण्डल : लखनऊ, जनपद : लखनऊ, तहसील : सरोजनीनगर
कम्प्यूटरीकृत वाद संख्या :- T202610460509073
वाद संख्या :- 9073/2026
ज्ञानेन्द्र प्रताप शुक्ला (नायब तहसीलदार) बनाम आलिम
उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता - 2006, अंतर्गत धारा :- 34
" अंतिम आदेश "
आदेश तिथि :- 01/06/2026

ग्राम- दोना, परगना काकोरी तहसील सरोजनी नगर जिला लखनऊ की खतौनी सन् 1426-1431 फ0 की गाटा संख्या 2936स का कुल रकबा 0.7590हे0 में से विक्रित रकबा 0.1686हे0 अर्थात विक्रेता का सम्पूर्ण भाग मांगु 60ख से विक्रेता श्री आलिम पुत्र रहीस निवासी दोना विशेषकर खेड़ा काकोरी लखनऊ का नाम निरस्त करके क्रेता मुख्यमंत्री शहरी विस्तारीकरण योजनान्तर्गत वरुण विहार आवासीय योजना लखनऊ विकास प्राधिकरण लखनऊ का नाम जरिये विक्रय पत्र दिनांक 28.02.2026 के आधार पर संक्रमणीय भूमिधर दर्ज हो। पत्रावली बाद अमलदरामद दाखिल दफतर हो।

क्रमांक संख्या :- 3862

विक्रय मूल्य :- 47,20,800/

Disclaimer :

उपरोक्त सूचना मात्र सूचनार्थ है तथा राजस्व न्यायालय कम्प्यूटरीकृत प्रबन्धन प्रणाली (RCCMS) में उपलब्ध अद्यतन सूचना पर आधारित है, इस सूचना की कोई विधिक मान्यता नहीं होगी। वास्तविक सूचना की पुष्टि सम्बंधित न्यायलय / न्यायालयों की पत्रावली / पत्रावलियों से की जा सकती है।"



2936
शालिनी

न्यायालय :- नायब तहसीलदार, बिजनौर (पी-2)
पीठासीन अधिकारी का नाम:- शालिनी तिवारी
मण्डल :लखनऊ , जनपद :लखनऊ , तहसील :सरोजनीनगर
कम्प्यूटरीकृत वाद संख्या:- T202610460509064
वाद संख्या:- 9064/2026
ज्ञानेन्द्र प्रताप शुक्ला (नायब तहसीलदार) बनाम मो० जमील
उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता - 2006 , अंतर्गत धारा:- 34
" अंतिम आदेश "
आदेश तिथि:- 26/05/2026

ग्राम- दोना, परगना बिजनौर तहसील सरोजनी नगर जिला लखनऊ की खतौनी सन् 1426-1431 फ० के खाता संख्या 00533 की गाटा संख्या 2794स का कुल रकबा 0.1700हे० में से विक्रित रकबा 0.1700 हे० व गाटा संख्या 2909 का कुल रकबा 0.2150हे० में से विक्रित रकबा 0.1076हे० व गाटा संख्या 2936स का कुल रकबा 0.7590 में से विक्रित रकबा 0.2530हे० व गाटा संख्या 3271स का कुल रकबा 0.3790हे० में से विक्रित रकबा 0.2523 हे० कुल रकबा 1.5230हे० में से विक्रित रकबा 0.7829 हे० अर्थात विक्रेता का सम्पूर्ण भाग मा०गु० 60ख से विक्रेता मो० जीमल पुत्र मो० खलील निवासी दोना काकोरी लखनऊ का नाम निरस्त करके क्रेता मुख्यमंत्री शहरी विस्तारीकरण योजनान्तर्गत वरूण विहार आवासीय योजना लखनऊ विकास प्राधिकरण लखनऊ का नाम जरिये विक्रय पत्र दिनांक 28.02.2026 के आधार पर संक्रमणीय भूमिधर दर्ज हो। पत्रावली बाद अमलदरामद दाखिल दफतर हो।

Disclaimer :

उपरोक्त सूचना मात्र सूचनार्थ है तथा राजस्व न्यायालय कम्प्यूटरीकृत प्रबन्धन प्रणाली (RCCMS) में उपलब्ध अद्यतन सूचना पर आधारित है , इस सूचना की कोई विधिक मान्यता नहीं होगी वास्तविक सूचना की पुष्टि सम्बंधित न्यायलय / न्यायालयों की पत्रावली / पत्रावलियों से की जा सकती है।"



2936
शानू

न्यायालय :- तहसीलदार, (न्यायिक)
पीठासीन अधिकारी का नाम:- सुखवीर सिंह
मण्डल : लखनऊ, जनपद : लखनऊ, तहसील : सरोजनीनगर
कम्प्यूटरीकृत वाद संख्या:- T202610460510039
वाद संख्या:- 10039/2026
ज्ञानेन्द्र प्रताप शुक्ला (नायब तहसीलदार) बनाम शानू
उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता - 2006, अंतर्गत धारा:- 34
" अंतिम आदेश "
आदेश तिथि:- 09/05/2026

वाद सं०-

ग्राम-दोना

निर्णय

प्रस्तुत नामान्तरण वाद की कार्यवाही वादी द्वारा प्रस्तुत नामान्तरण प्रार्थना पत्र के आधार पर संस्थित किया गया, जो कि विक्रय पत्र दिनांक 10.03.2026 के आधार पर प्रस्तुत किया गया। नियमानुसार इस्तहार जारी किया गया। वाद में कोई आपत्ति प्राप्त नहीं हुई। अतः वाद निर्विवाद है। वाद वादी के साक्ष्य में नियत किया गया। वादी ने अपने कथन की पुष्टि में अभिलेखीय/मौखिक साक्ष्य में पंजीकृत विक्रय पत्र इन्तखाब खतौनी प्रस्तुत किया। यह विक्रयपत्र उ०प्र० राजस्व संहिता 2006 की धारा 88, 89, 90, 97, 98, 99, के प्राविधानों के प्रतिकूल नहीं है। उक्त वाद निर्विवाद होने के कारण नामान्तरण आदेश पारित करने में कोई विधिक बाधा प्रतीत नहीं होती है। किसी प्रकार का प्रतिकूल तथ्य संज्ञानित होने पर यह आदेश स्वतः निरस्त माना जायेगा। अतः निम्नवत आदेश पारित किया जाता है।

आदेश

अतः आदेश किया जाता है कि ग्राम दोना परगना काकोरी तहसील सरोजनीनगर जनपद लखनऊ की खतौनी वर्ष 1426 से 1431 की खाता सं० 01102 की गाटा सं० 2936स रकबा 0.7590हे० में से विक्रीत रकबा 0.1686हे० विक्रेता का सम्पूर्ण भाग मा०गु० 60ख से अंकित खातेदार विक्रेता मो० शानू पुत्र मो० रईस निवासी दोना लखनऊ नाम निरस्त करके क्रेता मुख्यमंत्री शहरी विस्तारीकरण योजनान्तर्गत वरुण विहार आवासीय योजना लखनऊ विकास प्राधिकरण लखनऊ का नाम पंजीकृत विक्रयपत्र दिनांक 10.03.2026 के आधार पर संक्रमणीय भूमिधर अंकित किया जाये। बाद अमल दरामद पत्रावली दाखिल दफ्तर हो।

दिनांक:- तहसीलदार (न्यायिक)

सरोजनीनगर, लखनऊ।

Disclaimer:

उपरोक्त सूचना मात्र सूचनार्थ है तथा राजस्व न्यायालय कम्प्यूटरीकृत प्रबन्धन प्रणाली (RCCMS) में उपलब्ध अद्यतन सूचना पर आधारित है, इस सूचना की कोई विधिक मान्यता नहीं होगी। वास्तविक सूचना की पुष्टि सम्बंधित न्यायलय / न्यायालयों की पत्रावली / पत्रावलियों से की जा सकती है।"



न्यायालय :- तहसीलदार, (न्यायिक)
पीठासीन अधिकारी का नाम:- सुखवीर सिंह
मण्डल : लखनऊ, जनपद : लखनऊ, तहसील : सरोजनीनगर
कम्प्यूटरीकृत वाद संख्या:- T202610460511203
वाद संख्या:- 11203/2026
शानेन्द्र प्रताप शुक्ला (नायब तहसीलदार) बनाम सईद अहमद
उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता - 2006, अंतर्गत धारा:- 34
" अंतिम आदेश "
आदेश तिथि:- 09/05/2026

2936
सईद

वाद सं०-

ग्राम-दोना

निर्णय

प्रस्तुत नामान्तरण वाद की कार्यवाही वादी द्वारा प्रस्तुत नामान्तरण प्रार्थना पत्र के आधार पर संस्थित किया गया, जो कि विक्रय पत्र दिनांक 16.03.2026 के आधार पर प्रस्तुत किया गया। नियमानुसार इष्टहार जारी किया गया। वाद में कोई आपत्ति प्राप्त नहीं हुई। अतः वाद निर्विवाद है। वाद वादी के साक्ष्य में नियत किया गया। वादी ने अपने कथन की पुष्टि में अभिलेखीय/मौखिक साक्ष्य में पंजीकृत विक्रय पत्र इन्तखाब खतौनी प्रस्तुत किया। क्षेत्रीय लेखपाल के बयान संलग्न है। यह विक्रयपत्र उ०प्र० राजस्व संहिता 2006 की धारा 88, 89, 90, 97, 98, 99, के प्राविधानों के प्रतिकूल नहीं है। उक्त वाद निर्विवाद होने के कारण नामान्तरण आदेश पारित करने में कोई विधिक बाधा प्रतीत नहीं होती है। किसी प्रकार का प्रतिकूल तथ्य संज्ञानित होने पर यह आदेश स्वतः निरस्त माना जायेगा। अतः निम्नवत आदेश पारित किया जाता है।

आदेश

अतः आदेश किया जाता है कि ग्राम दोना परगना काकोरी तहसील सरोजनीनगर जनपद लखनऊ की खतौनी वर्ष 1426 से 1431 की खसरा सं० 2936स रकबा 0.7590 हे० में से विक्रीत रकबा 0.1686 हे० विक्रेता का सम्पूर्ण भाग मा०गु० 60ख से अंकित खातेदार विक्रेता श्री सईद अहमद पुत्र रहीश अहमद निवासी दोना काकोरी लखनऊ नाम निरस्त करके क्रेता मुख्यमंत्री शहरी विस्तारिकरण योजनान्तर्गत वरूण विहार आवासीय योजना लखनऊ विकास प्राधिकरण लखनऊ का नाम पंजीकृत विक्रयपत्र दिनांक 16.03.2026 के आधार पर संक्रमणीय भूमिधर अंकित किया जाये। बाद अमल दरामद पत्रावली दाखिल दफ्तर हो।

दिनांक:- तहसीलदार (न्यायिक)

सरोजनीनगर, लखनऊ।

Disclaimer :

उपरोक्त सूचना मात्र सूचनार्थ है तथा राजस्व न्यायालय कम्प्यूटरीकृत प्रबन्धन प्रणाली (RCCMS) में उपलब्ध अद्यतन सूचना पर आधारित है, इस सूचना की कोई विधिक मान्यता नहीं होगी। वास्तविक सूचना की पुष्टि सम्बंधित न्यायालय / न्यायालयों की पत्रावली / पत्रावलियों से की जा सकती है।"



2936
कमलेश कुमार

न्यायालय :- तहसीलदार, (न्यायिक)
मण्डल : लखनऊ, जनपद : लखनऊ, तहसील : सरोजनीनगर
कम्प्यूटरीकृत वाद संख्या:- T202610460502364
वाद संख्या:- 2364/2026
प्रवेश कुमार (नायब तहसीलदार) बनाम कमलेश कुमारी
उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता - 2006, अंतर्गत धारा:- 34
" अंतिम आदेश "
आदेश तिथि:- 07/03/2026

वाद सं०-375

ग्राम-दोना

निर्णय

प्रस्तुत नामान्तरण वाद की कार्यवाही वादी द्वारा प्रस्तुत नामान्तरण प्रार्थना पत्र के आधार पर संस्थित किया गया, जो कि विक्रय पत्र दिनांक 08.12.2025 के आधार पर प्रस्तुत किया गया। नियमानुसार इशतहार जारी किया गया। वाद मे कोई आपत्ति प्राप्त नहीं हुई। अतः वाद निर्विवाद है। वाद वादी के साक्ष्य मे नियत किया गया। वादी ने अपने कथन की पुष्टि में अभिलेखीय/मौखिक साक्ष्य में पंजीकृत विक्रय पत्र इन्तखाब खतौनी व साढ़े बारह एकड़ से अधिक भूमि न होने सम्बन्धी शपथ पत्र प्रस्तुत किया। क्षेत्रीय लेखपाल के बयान संलग्न है। यह विक्रयपत्र उ०प्र० राजस्व संहिता 2006 की धारा 88, 89, 90, 97, 98, 99, के प्राविधानों के प्रतिकूल नहीं है। उक्त वाद निर्विवाद होने के कारण नामान्तरण आदेश पारित करने मे कोई विधिक बाधा प्रतीत नहीं होती है। अतः निम्नवत आदेश पारित किया जाता है।

आदेश

अतः आदेश किया जाता है कि ग्राम दोना परगना काकोरी तहसील सरोजनीनगर जनपद लखनऊ की खतौनी वर्ष 1426 से 1431 की खाता सं० 00862 की गाटा सं० 2907 रकबा 0.1390हे० मे से विक्रीत रकबा 0.0695हे० व खाता सं० 00120 की गाटा सं० 3271मि रकबा 0.3820हे० मे से विक्रीत रकबा 0.3820हे० व खाता सं० 00395 की गाटा सं० 3271स रकबा 0.4490हे सम्पूर्ण व खाता सं० 00519 की गाटा सं० 2936स रकबा 0.3670हे० सम्पूर्ण, व खाता सं० 00951 की गाटा सं० 2933 रकबा 0.2150हे० मे से विक्रीत रकबा 0.0716हे० कुल रकबा 1.5520हे० मे से विक्रीत रकबा 1.3391हे० विक्रेता का सम्पूर्ण अंश मा०गु० 60ख से अंकित खातेदार विक्रेता श्रीमती कमलेश कुमारी पत्नी कामता प्रसाद निवासी दोना लखनऊ नाम निरस्त करके क्रेता मुख्यमंत्री शहरी विस्तारीकरण योजनान्तर्गत वरूण विहार आवासीय योजना लखनऊ विकास प्राधिकरण लखनऊ का नाम पंजीकृत विक्रयपत्र दिनांक 08.12.2025 के आधार पर संक्रमणीय भूमिधर अंकित किया जाये। बाद अमल दरामद पत्रावली दाखिल दफ्तर हो।

दिनांक:- तहसीलदार (न्यायिक)

सरोजनीनगर, लखनऊ।

Disclaimer :

उपरोक्त सूचना मात्र सूचनार्थ है तथा राजस्व न्यायालय कम्प्यूटरीकृत प्रबन्धन प्रणाली (RCCMS) में उपलब्ध अद्यतन सूचना पर आधारित है, इस सूचना की कोई विधिक मान्यता नहीं होगी। वास्तविक सूचना की पुष्टि सम्बंधित न्यायलय / न्यायालयों की पत्रावली / पत्रावलियों से की जा सकती है।"



न्यायालय :- तहसीलदार

पीठासीन अधिकारी का नाम:- सुखवीर सिंह

मण्डल :लखनऊ , जनपद :लखनऊ , तहसील :सरोजनीनगर

कम्प्यूटरीकृत वाद संख्या:- T202610460505684

वाद संख्या:- 5684/2026

प्रवेश कुमार (नायब तहसीलदार) बनाम कमलेश

उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता - 2006 , अंतर्गत धारा:- 34

" अंतिम आदेश "

आदेश तिथि:- 20/05/2026

ग्राम दोना

प्रस्तुत नामान्तरण वाद की कार्यवाही वादी द्वारा प्रस्तुत नामान्तरण प्रार्थना पत्र के आधार पर संस्थित किया गया, जो कि विक्रय पत्र दिनांक 02.01.2026 के आधार पर प्रस्तुत किया गया। नियमानुसार इशतहार जारी किया गया। वाद मे कोई आपत्ति प्राप्त नहीं हुई। अतः वाद निर्विवाद है। वाद वादी के साक्ष्य मे नियत किया गया। वादी ने अपने कथन की पुष्टि में अभिलेखीय/मौखिक साक्ष्य में पंजीकृत विक्रय पत्र इन्तखाब खतौनी प्रस्तुत किया। यह विक्रयपत्र उ०प्र० राजस्व संहिता 2006 की धारा 88, 89, 90, 97, 98, 99, के प्राविधानों के प्रतिकूल नहीं है। उक्त वाद निर्विवाद होने के कारण नामान्तरण आदेश पारित करने में कोई विधिक बाधा प्रतीत नहीं होती है। किसी प्रकार का प्रतिकूल तथ्य संज्ञानित होने पर यह आदेश स्वतः निरस्त माना जायेगा। अतः निम्नवत आदेश पारित किया जाता है।

आदेश

अतः आदेश किया जाता है कि ग्राम दोना परगना काकोरी तहसील सरोजनी नगर जिला लखनऊ की खतौनी वर्ष 1426 से 1431 की खाता सं० 00384 की गाटा सं० 2936सं. का कुल रकबा 0.5060हे० में से विक्रीत रकबा 0.1327हे० अर्थात विक्रेता का सम्पूर्ण भाग मा०गु० 60ख से अंकित खातेदार विक्रेता श्री कमलेश पुत्र सुख दर्शन निवासी बदबदा खेड़ा दोना जिला लखनऊ उ०प्र० नाम निरस्त करके क्रेता मुख्यमंत्री शहरी विस्तारीकरण योजनान्तर्गत वरूण विहार आवासीय योजना लखनऊ विकास प्राधिकरण लखनऊ का नाम पंजीकृत विक्रय पत्र दिनांक 02.01.2026 के आधार पर संक्रमणीय भूमिधर अंकित किया जाये। बाद अमलदरामद पत्रावली दाखिल दफ्तर हो।

क्रमांक नं० 90

Disclaimer :

उपरोक्त सूचना मात्र सूचनार्थ है तथा राजस्व न्यायालय कम्प्यूटरीकृत प्रबन्धन प्रणाली (RCCMS) में उपलब्ध अद्यतन सूचना पर आधारित है , इस सूचना की कोई विधिक मान्यता नहीं होगी। वास्तविक सूचना की पुष्टि सम्बंधित न्यायलय / न्यायालयों की पत्रावली / पत्रावलियों से की जा सकती है।"

Court Order Print



न्यायालय :- नायब तहसीलदार, खुशहालगंज (पी-2)
मण्डल : लखनऊ, जनपद : लखनऊ, तहसील : सरोजनीनगर
कम्प्यूटरीकृत वाद संख्या :- T202610460500652
वाद संख्या :- 652/2026
प्रवेश कुमार (नायब तहसीलदार) बनाम उल्फत अली
उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता - 2006, अंतर्गत धारा :- 34
" अंतिम आदेश "

आदेश तिथि :- 14/03/2026

अतः आदेश दिया जाता है कि ग्राम दोना परगना काकोरी, तहसील सरोजनीनगर जिला लखनऊ की खतौनी वर्ष 1426-1431 फसली के खाता संख्या 00073 की गाटा संख्या 2936सं रकबा 0.5690 हे० में से विक्रीत रकबा 0.1900 हे० विक्रेता का सम्पूर्ण रकबा मा०गु० 60ख से विक्रेता श्री उल्फत पुत्र मदारू निवासी दोना काकोरी लखनऊ उ०प्र० का नाम पृथक करके क्रेता मुख्यामंत्री शहरी विस्तारीकरण योजनान्तर्गत वरूण विहार आवासीय योजना लखनऊ विकास प्राधिकरण लखनऊ गोमतीनगर, लखनऊ विकास प्राधिकरण लखनऊ नाम बतौर संक्रमणीय भूमिधर द्वारा बैनामा 22.11.2025 अंकित हो। बाद अमलदरामद पत्रावली दाखिल दफ्तर हो।

Disclaimer:

उपरोक्त सूचना मात्र सूचनार्थ है तथा राजस्व न्यायालय कम्प्यूटरीकृत प्रबन्धन प्रणाली (RCCMS) में उपलब्ध अद्यतन सूचना पर आधारित है, इस सूचना की कोई विधिक मान्यता नहीं होगी। वास्तविक सूचना की पुष्टि सम्बंधित न्यायालय / न्यायालयों की पत्रावली / पत्रावलियों से की जा सकती है।"



न्यायालय :- नायब तहसीलदार, बिजनौर (पी-2)
 पीठासीन अधिकारी का नाम:- शालिनी तिवारी
 मण्डल :लखनऊ, जनपद :लखनऊ, तहसील :सरोजनीनगर
 कम्प्यूटरीकृत वाद संख्या:- T202610460512407
 वाद संख्या:- 12407/2026
 प्रवेश कुमार नायब तहसीलदार बनाम रहमत अली
 उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता - 2006, अंतर्गत धारा:- 34
 " अंतिम आदेश "

आदेश तिथि:- 20/05/2026

ग्राम- दोना, परगना बिजनौर तहसील सरोजनी नगर जिला लखनऊ की खतौनी सन् 1426-1431 फ० के खाता संख्या 00588 की गाटा संख्या 2936 स रकबा 0.5690 हे० मे से विक्रेता का सम्पूर्ण अंश मा०गु० 60 ख से विक्रेता श्री रहमत अली पुत्र श्री मदारू निवासी दोना लखनऊ का नाम निरस्त करके क्रेता मुख्यमंत्री शहरी विस्तारीकरण योजनान्तर्गत वस्त्र विहार आवासीय योजना लखनऊ विकास प्राधिकरण लखनऊ का नाम जरिये विक्रय पत्र दिनांक 28.02.2026 के आधार पर संक्रमणीय भूमिधर दर्ज हो। पत्रावली बाद अमलदरामद दाखिल दफतर हो।

क्रमांक संख्या :- 20559

विक्रय मूल्य :- 1,59,32,000/-

Disclaimer :

उपरोक्त सूचना मात्र सूचनार्थ है तथा राजस्व न्यायालय कम्प्यूटरीकृत प्रबन्धन प्रणाली (RCCMS) में उपलब्ध अद्यतन सूचना पर आधारित है, इस सूचना की कोई विधिक मान्यता नहीं होगी। वास्तविक सूचना की पुष्टि सम्बंधित न्यायलय / न्यायालयों की पत्रावली / पत्रावलियों से की जा सकती है।"

Court Order Print



2936
काम देव

न्यायालय :- तहसीलदार
मण्डल : लखनऊ, जनपद : लखनऊ, तहसील : सरोजनीनगर
कम्प्यूटरीकृत वाद संख्या:- T202610460508245
वाद संख्या:- 8245/2026
ज्ञानेन्द्र प्रताप शुक्ला (नायब तहसीलदार) बनाम बासुदेव
उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता - 2006, अंतर्गत धारा:- 34
" अंतिम आदेश "
आदेश तिथि:- 24/04/2026

वाद सं०
ग्राम दोना

प्रस्तुत नामान्तरण वाद की कार्यवाही वादी द्वारा प्रस्तुत नामान्तरण प्रार्थना पत्र के आधार पर संस्थित किया गया, जो कि विक्रय पत्र दिनांक 23.02.2026 के आधार पर प्रस्तुत किया गया। नियमानुसार इशतहार जारी किया गया। वाद में कोई आपत्ति प्राप्त नहीं हुई। अतः वाद निर्विवाद है। वाद वादी के साक्ष्य में नियत किया गया। वादी ने अपने कथन की पुष्टि में अभिलेखीय/मौखिक साक्ष्य में पंजीकृत विक्रय पत्र इन्तखाब खतौनी प्रस्तुत किया। क्षेत्रीय लेखपाल के बयान संलग्न है। यह विक्रयपत्र उ०प्र० राजस्व संहिता 2006 की धारा 88, 89, 90, 97, 98, 99, के प्राविधानों के प्रतिकूल नहीं है। उक्त वाद निर्विवाद होने के कारण नामान्तरण आदेश पारित करने में कोई विधिक बाधा प्रतीत नहीं होती है। किसी प्रकार का प्रतिकूल तथ्य संज्ञानित होने पर यह आदेश स्वतः निरस्त माना जायेगा। अतः निम्नवत आदेश पारित किया जाता है।

आदेश

अतः आदेश किया जाता है कि ग्राम दोना परगना काकोरी तहसील सरोजनीनगर जनपद लखनऊ की खतौनी वर्ष 1426 से 1431 की खाता सं० 00384 की खसरा संख्या 2936स का कुल रकबा 0.5060 हे० में से विक्रीत रकबा 0.2530 हे० विक्रेता का सम्पूर्ण भाग मा०गु० 60ख से अंकित खातेदार विक्रेता श्री वासु देव पुत्र सुख दर्शन, निवासी बुदबदा खेडा दोना लखनऊ उ०प्र० नाम निरस्त करके क्रेता मुख्यमंत्री शहरी विस्तारीकरण योजनान्तर्गत वरूण विहार आवासीय योजना लखनऊ विकास प्राधिकरण लखनऊ का नाम पंजीकृत विक्रयपत्र दिनांक 23.02.2026 के आधार पर संक्रमणीय भूमिधर अंकित किया जाये। बाद अमल दरामद पत्रावली दाखिल दफ्तर हो।

क्रमांक नं०-3300

दिनांक: तहसीलदार

सरोजनीनगर, लखनऊ

Disclaimer :

उपरोक्त सूचना मात्र सूचनार्थ है तथा राजस्व न्यायालय कम्प्यूटरीकृत प्रबन्धन प्रणाली (RCCMS) में उपलब्ध अद्यतन सूचना पर आधारित है, इस सूचना की कोई विधिक मान्यता नहीं होगी। वास्तविक सूचना की पुष्टि सम्बंधित न्यायलय / न्यायालयों की पत्रावली / पत्रावलियों से की जा सकती है।"



न्यायालय :- नायब तहसीलदार, खुशहालगंज (पी-2)
 पीठासीन अधिकारी का नाम:- जितेंद्र कुमार शर्मा
 मण्डल :लखनऊ, जनपद :लखनऊ, तहसील :सरोजनीनगर
 कम्प्यूटरीकृत वाद संख्या:- T2026104618557
 वाद संख्या:- 18557/2026
 प्रवेश कुमार (नायब तहसीलदार) बनाम अतीकुन निशा
 उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता - 2006, अंतर्गत धारा:- 34
 " अंतिम आदेश "

आदेश तिथि:- 05/06/2026

अतः आदेश दिया जाता है कि ग्राम- दोना परगना काकोरी तहसील सरोजनीनगर जिला लखनऊ की खतौनी वर्ष 1426-1431 फसली के खाता संख्या 00073 की खसरा सं० 2936रा का कुल रकबा 0.5690हे० में से विक्रीत रकबा 0.1896हे०, खसरा सं० 1428स का कुल रकबा 0.0760 हे० में से विक्रीत रकबा 0.0253 हे०, खसरा सं० 1468स का कुल रकबा 0.02500 में से विक्रीत रकबा 0. 0083हे०, खसरा सं० 1527 का कुल रकबा 0.0250हे० में से विक्रीत रकबा 0.0083हे०, खसरा सं० 1531 का कुल रकबा 0.1140हे० में से विक्रीत रकबा 0.0380 हे०. कुल रकबा 0.8090 हे० में से. विक्रीत रकबा 0.2695 हे० अर्थात विक्रेता का सम्पूर्ण भाग मा०गु० 60ख से विक्रेता:- श्रीमती अतीकुन निशा पत्नी मासूम अली निवासी दोना काकोरी लखनऊ उ०प्र० का नाम निरस्त करके क्रेता- मुख्यमंत्री शहरी विस्तारीकरण योजनातगत वरूण विहार आवासीय योजना लखनऊ विकास प्राधिकरण लखनऊ नाम जरिए पंजीकृत विक्रय पत्र दिनांक 18.12.2025 सं०भू० अंकित हो। बाद अमलदरामद पत्रावली दाखिल दफ्तर हो।

Disclaimer :

उपरोक्त सूचना मात्र सूचनार्थ है तथा राजस्व न्यायालय कम्प्यूटरीकृत प्रबन्धन प्रणाली (RCCMS) में उपलब्ध अद्यतन सूचना पर आधारित है , इस सूचना की कोई विधिक मान्यता नहीं होगी। वास्तविक सूचना की पुष्टि सम्बंधित न्यायलय / न्यायालयों की पत्रावली / पत्रावलियों से की जा सकती है।"



2936

कॉपी

न्यायालय :- नायब तहसीलदार, खुशहालगंज (पी-2)
पीठासीन अधिकारी का नाम:- जितेंद्र कुमार शर्मा
मण्डल :लखनऊ, जनपद :लखनऊ, तहसील :सरोजनीनगर
कम्प्यूटरीकृत वाद संख्या:- T2026104618556
वाद संख्या:- 18556/2026
प्रवेश कुमार (नायब तहसीलदार) बनाम मो० अरीफ
उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता - 2006, अंतर्गत धारा:- 34
" अंतिम आदेश "
आदेश तिथि:- 05/06/2026

अतः आदेश दिया जाता है कि ग्राम दोना परगना काकोरी तहसील सरोजनीनगर जिला लखनऊ की खतौनी वर्ष 1426-1431 फसली के खाता संख्या 00073 की खसरा सं० 2936स का कुल रकबा 0.5690 हे० में से विकीत रकबा 0.1897 हे०, खसरा सं० 1428स का कुल रकबा 0.0760 हे० में से विकीत रकबा 0.0254 हे०, खसरा सं० 1468स का कुल रकबा 0.0250हे० में से विकीत रकबा ०. 0083हे० खसरा सं० 1527 का कुल रकबा 0.0250हे० में से विकीत रकबा 0.0083, खसरा सं० 1531 का कुल रकबा 0.1140हे० में से विकीत रकबा 0.0380हे० कुल रकबा 0.8090 हे० में से विकीत रकबा 0.2697 हे० अर्थात् विक्रेता का सम्पूर्ण भाग मा०गु० 60ख से विक्रेता:- मो० आरिफ पुत्र मो० मासूम अली अहमदाबाद कटौली मलिहाबाद लखनऊ उ०प्र० का नाम निरस्त करके क्रेता- मुख्यमंत्री शहरी विस्तारीकरण योजनान्तर्गत वरूण विहार आवासीय योजना लखनऊ विकास प्राधिकरण. लखनऊ नाम जरिए पंजीकृत विक्रय पत्र दिनांक 18.12.2025 सं०भू० अंकित हो। बाद अमलदरामद पत्रावली दाखिल दप्तर हो।

Disclaimer :

उपरोक्त सूचना मात्र सूचनार्थ है तथा राजस्व न्यायालय कम्प्यूटरीकृत प्रबन्धन प्रणाली (RCCMS) में उपलब्ध अद्यतन सूचना पर आधारित है , इस सूचना की कोई विधिक मान्यता नहीं होगी। वास्तविक सूचना की पुष्टि सम्बंधित न्यायलय / न्यायालयों की पत्रावली / पत्रावलियों से की जा सकती है।"



न्यायालय :- नायब तहसीलदार, खुशहालगंज (पी-2)
 पीठासीन अधिकारी का नाम:- जितेंद्र कुमार शर्मा
 मण्डल :लखनऊ, जनपद :लखनऊ, तहसील :सरोजनीनगर
 कम्प्यूटरीकृत वाद संख्या:- T2026104618554

वाद संख्या:- 18554/2026

शानेन्द्र प्रताप शुक्ला (नायब तहसीलदार) बनाम दिलीप कुमार
 उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता - 2006, अंतर्गत धारा:- 34

" अंतिम आदेश "

आदेश तिथि:- 05/06/2026

अतः आदेश दिया जाता है कि ग्राम- दोना परगना काकोरी तहसील सरोजनीनगर जिला लखनऊ की खतौनी वर्ष 1426-1431 फसली के खाता संख्या 00073 की खसरा सं० 2936स का कुल रकबा 0.5690हे० में से विकीत रकबा 0.1897 हे०, खसरा सं० 1428स का कुल रकबा 0.0760हे० में से विकीत रकबा 0.0253 हे० खसरा सं० 1468स का कुल रकबा 0.02500 में से विकीत रकबा 0.0084 हे० खसरा सं० 1527 का कुल रकबा 0.0250 हे० में से विकीत रकबा 0.0084 हे० खसरा सं० 1531 का कुल रकबा 0.1140हे० में से विकीत रकबा 0.0380हे० कुल रकबा 0.8090, हे० में से विकीत रकबा 0.2698हे० अर्थात् विक्रेता का सम्पूर्ण भाग मांगुं 60ख से बिक्रेता:- मो० असलम पुत्र मो० अमसूम उर्फ मासूम अली अहमदाबाद कटौली मलिहाबाद लखनऊ उ०प्र० का नाम निरस्त करके क्रेता मुख्यमंत्री शहरी विस्तारीकरण योजनातगत वरूण विहार आवासीय योजना लखनऊ विकास प्राधिकरण लखनऊ नाम जरिए पंजीकृत विक्रय पत्र दिनांक 18.12.2025 सं०भू० अंकित हो। बाद अमलदरामद पत्रावली दाखिल दफ्तर हो।

Disclaimer :

उपरोक्त सूचना मात्र सूचनार्थ है तथा राजस्व न्यायालय कम्प्यूटरीकृत प्रबन्धन प्रणाली (RCCMS) में उपलब्ध अद्यतन सूचना पर आधारित है, इस सूचना की कोई विधिक मान्यता नहीं होगी। वास्तविक सूचना की पुष्टि सम्बंधित न्यायालय / न्यायालयों की पत्रावली / पत्रावलियों से की जा सकती है।"



न्यायालय :- नायब तहसीलदार, खुशहालगंज (पी-2)
मण्डल : लखनऊ, जनपद : लखनऊ, तहसील : सरोजनीनगर
कम्प्यूटरीकृत वाद संख्या:- T202610460503004
वाद संख्या:- 3004/2026
प्रवेश कुमार (नायब तहसीलदार) बनाम जुलेखा
उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता - 2006, अंतर्गत धारा:- 34
" अंतिम आदेश "

आदेश तिथि:- 09/03/2026

अतः आदेश दिया जाता है कि ग्राम दोना परगना काकोरी, तहसील सरोजनीनगर जिला लखनऊ की खतौनी वर्ष 1426-1431 फसली के खाता संख्या 00482 की गाटा संख्या 172 रकबा 0.1900 हे० में से विक्रीत रकबा 0.0950 हे० व खाता संख्या 00073 की गाटा संख्या 2936 स रकबा 0.5690 हे० में से विक्रीत रकबा 0.2530 हे० में से विक्रीत रकबा 0.3480 हे० मा०गु० 60ख से विक्रेता श्रीमती जुलेखा पत्नी वकील निवासी सदरौना लखनऊ उत्तर प्रदेश का नाम पृथक करके क्रेता मुख्यमंत्री शहरी विस्तारीकरण योजनान्तर्गत-वरूण विहार आवासीय योजना लखनऊ विकास प्राधिकरण लखनऊ गोमतीनगर, लखनऊ विकास प्राधिकरण लखनऊ नाम बतौर संक्रमणीय भूमिधर द्वारा बैनामा 18.12.2025 अंकित हो। बाद अमलदरामद पत्रावली दाखिल दफ्तर हो।

Disclaimer :

उपरोक्त सूचना मात्र सूचनार्थ है तथा राजस्व न्यायालय कम्प्यूटरीकृत प्रबन्धन प्रणाली (RCCMS) में उपलब्ध अद्यतन सूचना पर आधारित है, इस सूचना की कोई विधिक मान्यता नहीं होगी। वास्तविक सूचना की पुष्टि सम्बंधित न्यायालय / न्यायालयों की पत्रावली / पत्रावलियों से की जा सकती है।"



2936
कल्लू 2027

न्यायालय :- तहसीलदार
मण्डल : लखनऊ, जनपद : लखनऊ, तहसील : सरोजनीनगर
कम्प्यूटरीकृत वाद संख्या:- T202610460508370
वाद संख्या:- 8370/2026
ज्ञानेन्द्र प्रताप शुक्ला (नायब तहसीलदार) बनाम कल्लू
उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता - 2006, अंतर्गत धारा:- 34
" अंतिम आदेश "
आदेश तिथि:- 24/04/2026

वाद संख्या
ग्राम दोना

प्रस्तुत नामान्तरण वाद की कार्यवाही वादी द्वारा प्रस्तुत नामान्तरण प्रार्थना पत्र के आधार पर संस्थित किया गया, जो कि विक्रय पत्र दिनांक 24.02.2026 के आधार पर प्रस्तुत किया गया। नियमानुसार इस्तहार जारी किया गया। वाद में कोई आपत्ति प्राप्त नहीं हुई। अतः वाद निर्विवाद है। वाद वादी के साक्ष्य में नियत किया गया। वादी ने अपने कथन की पुष्टि में अभिलेखीय/मौखिक साक्ष्य में पंजीकृत विक्रय पत्र इन्तखाब खतौनी प्रस्तुत किया। क्षेत्रीय लेखपाल के बयान संलग्न है। यह विक्रयपत्र उ०प्र० राजस्व संहिता 2006 की धारा 88, 89, 90, 97, 98, 99, के प्राविधानों के प्रतिकूल नहीं है। उक्त वाद निर्विवाद होने के कारण नामान्तरण आदेश पारित करने में कोई विधिक बाधा प्रतीत नहीं होती है। किसी प्रकार का प्रतिकूल तथ्य संज्ञानित होने पर यह आदेश स्वतः निरस्त माना जायेगा। अतः निम्नवत आदेश पारित किया जाता है।

आदेश

अतः आदेश दिया जाता है कि ग्राम दोना, परगना काकोरी, तहसील सरोजनीनगर, जिला लखनऊ खतौनी वर्ष 1426 से 1431 फसली के खाता संख्या 00092 गाटा संख्या 1509 रकबा 0.1520 हे० व 1505 रकबा 0.1260 हे० व 2936/1 रकबा 0.2530 हे० व 2929/2 रकबा 0.3160 हे० व 2396 रकबा 0.0190 हे० खाता संख्या 00094 गाटा संख्या 2429 रकबा 0.3700 हे० में से विक्रीत 0.1233 हे० कुल रकबा 1.2360 हे० में से विक्रीत रकबा 0.9893 हे० विक्रेता का सम्पूर्ण भाग मा०गु० 60ख से विक्रेता श्री कल्लू पुत्र पुरन निवासी दोना काकोरी, लखनऊ उ०प्र० का नाम निरस्त करके क्रेता मुख्यमंत्री शहरी विस्तारीकरण योजनान्तर्गत वरूण विहार आवासीय योजना लखनऊ विकास प्राधिकरण लखनऊ का नाम बतौर संक्रमणीय भूमिधर द्वारा बैनामा दिनांक 24.02.2026 अंकित किया जाये। वाद अमलदरामद पत्रावली दाखिल दफ्तर हो।

क्रमांक नं०-3347

दिनांक: तहसीलदार

सरोजनीनगर, लखनऊ

Disclaimer:

उपरोक्त सूचना मात्र सूचनार्थ है तथा राजस्व न्यायालय कम्प्यूटरीकृत प्रबन्धन प्रणाली (RCCMS) में उपलब्ध अद्यतन सूचना पर आधारित है, इस सूचना की कोई विधिक मान्यता नहीं होगी। वास्तविक सूचना की पुष्टि सम्बंधित न्यायालय / न्यायालयों की पत्रावली / पत्रावलियों से की जा सकती है।"



न्यायालय :- नायब तहसीलदार, खुशहालगंज (पी-2)
पीठासीन अधिकारी का नाम:- जितेंद्र कुमार शर्मा
मण्डल :लखनऊ, जनपद :लखनऊ, तहसील :सरोजनीनगर
कम्प्यूटरीकृत वाद संख्या:- T2026104618551
वाद संख्या:- 18551/2026

ज्ञानेन्द्र प्रताप शुक्ला (नायब तहसीलदार) बनाम कल्लू
उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता - 2006, अंतर्गत धारा:- 34

" अंतिम आदेश "

आदेश तिथि:- 05/06/2026

अतः आदेश दिया जाता है कि ग्राम- दोना परगना काकोरी तहसील सरोजनीनगर जिला लखनऊ की खतौनी वर्ष 1426-1431 फसली के खाता संख्या 00092 की खसरा सं० 1509 का कुल रकबा 0.1520हे० में से विकीत रकबा 0.1520हे०, खसरा सं० 1505 का कुल रकबा 0.1260 हे० में से विकीत रकबा 0.1260हे०, खसरा सं० 2936/1 का कुल रकबा 0.2530हे० में से विकीत रकबा 0.2530हे०, खसरा सं० 29292 का कुल रकबा 0.3160हे० में से विकीत रकबा 0.3160हे०, खसरा सं० 2396 का कुल रकबा 0.0190हे० में से विकीत रकबा 0.0190हे०, खसरा सं० 2429 का कुल रकबा 0.3700हे० में से विकीत रकबा 0.1233हे०, कुल रकबा 1.2360हे० में से विकीत रकबा 0.9893हे० अर्थात विक्रेता का सम्पूर्ण भाग मांगुं 60ख से विक्रेता:- श्री कल्लू पुत्र पुरन निवासी दोना लखनऊ उ०प्र० का नाम निरस्त करके क्रेता- मुख्यमंत्री शहरी विस्तारीकरण योजनान्तर्गत वरूण विहार आवासीय योजना लखनऊ विकास प्राधिकरण लखनऊ नाम जरिए पंजीकृत विक्रय पत्र दिनांक 24.02.2026 सं०भू० अंकित हो। बाद अमलदरामद पत्रावली दाखिल दफ्तर हो।

Disclaimer :

उपरोक्त सूचना मात्र सूचनार्थ है तथा राजस्व न्यायालय कम्प्यूटरीकृत प्रबन्धन प्रणाली (RCCMS) में उपलब्ध अद्यतन सूचना पर आधारित है, इस सूचना की कोई विधिक मान्यता नहीं होगी। वास्तविक सूचना की पुष्टि सम्बंधित न्यायलय / न्यायालयों की पत्रावली / पत्रावलियों से की जा सकती है।"



न्यायालय :- तहसीलदार

पीठासीन अधिकारी का नाम:- सुखवीर सिंह

मण्डल : लखनऊ , जनपद : लखनऊ , तहसील : सरोजनीनगर

2936

कम्प्यूटरीकृत वाद संख्या:- T202610460505684

वाद संख्या:- 5684/2026

प्रवेश कुमार (नायब तहसीलदार) बनाम कमलेश

उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता - 2006 , अंतर्गत धारा:- 34

" अंतिम आदेश "

आदेश तिथि:- 20/05/2026

ग्राम दोना

प्रस्तुत नामान्तरण वाद की कार्यवाही वादी द्वारा प्रस्तुत नामान्तरण प्रार्थना पत्र के आधार पर संस्थित किया गया, जो कि विक्रय पत्र दिनांक 02.01.2026 के आधार पर प्रस्तुत किया गया। नियमानुसार इशतहार जारी किया गया। वाद मे कोई आपत्ति प्राप्त नहीं हुई। अतः वाद निर्विवाद है। वाद वादी के साक्ष्य मे नियत किया गया। वादी ने अपने कथन की पुष्टि में अभिलेखीय/मौखिक साक्ष्य में पंजीकृत विक्रय पत्र इन्तखाब खतौनी प्रस्तुत किया। यह विक्रयपत्र उ०प्र० राजस्व संहिता 2006 की धारा 88, 89, 90, 97, 98, 99, के प्राविधानों के प्रतिकूल नहीं है। उक्त वाद निर्विवाद होने के कारण नामान्तरण आदेश पारित करने मे कोई विधिक बाधा प्रतीत नहीं होती है। किसी प्रकार का प्रतिकूल तथ्य संज्ञानित होने पर यह आदेश स्वतः निरस्त माना जायेगा। अतः निम्नवत आदेश पारित किया जाता है।

आदेश

अतः आदेश किया जाता है कि ग्राम दोना परगना काकोरी तहसील सरोजनी नगर जिला लखनऊ की खतौनी वर्ष 1426 से 1431 की खाता सं० 00384 की गाटा सं० 2936सं. का कुल रकबा 0.5060हे० में से विक्रीत रकबा 0.1327हे० अर्थात विक्रेता का सम्पूर्ण भाग मा०गु० 60ख से अंकित

खातेदार विक्रेता श्री कमलेश पुत्र सुख दर्शन निवासी बदबदा खेड़ा दोना जिला लखनऊ उ०प्र० नाम निरस्त करके क्रेता मुख्यमंत्री शहरी विस्तारीकरण योजनान्तर्गत वरूण विहार आवासीय योजना लखनऊ विकास प्राधिकरण लखनऊ का नाम पंजीकृत विक्रय पत्र दिनांक 02.01.2026 के आधार पर संक्रमणीय भूमिधर अंकित किया जाये। बाद अमलदरामद पत्रावली दाखिल दफ्तर हो।

क्रमांक नं० 90

Disclaimer :

उपरोक्त सूचना मात्र सूचनार्थ है तथा राजस्व न्यायालय कम्प्यूटरीकृत प्रबन्धन प्रणाली (RCCMS) में उपलब्ध अद्यतन सूचना पर आधारित है , इस सूचना की कोई विधिक मान्यता नहीं होगी। वास्तविक सूचना की पुष्टि सम्बंधित न्यायलय / न्यायालयों की पत्रावली / पत्रावलियों से की जा सकती है।"

OK



2936 स
0.1020

न्यायालय :- नायब तहसीलदार, खुशहालगंज (पी-2)
पीठासीन अधिकारी का नाम:- जितेंद्र कुमार शर्मा
मण्डल :लखनऊ, जनपद :लखनऊ, तहसील :सरोजनीनगर
कम्प्यूटरीकृत वाद संख्या:- T2026104618555
वाद संख्या:- 18555/2026

प्रवेश कुमार (नायब तहसीलदार) बनाम मो० असलम
उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता - 2006, अंतर्गत धारा:- 34

" अंतिम आदेश "

आदेश तिथि:- 05/06/2026

अतः आदेश दिया जाता है कि ग्राम- दोना परगना काकोरी तहसील सरोजनीनगर जिला लखनऊ की खतौनी वर्ष 1426-1431 फंसली के खाता संख्या 00547 की खसरा सं० 2340 का कुल रकबा 0.4090 हे० में से विक्रीत रकबा 0.0909 हे०, खसरा सं० 202 का कुल रकबा 0.0130 हे० में से विक्रीत रकबा 0.0029 हे०, खसरा सं० 2790 का कुल रकबा 0.1390 हे० में से विक्रीत रकबा 0.0617 हे०, खसरा सं० 2936 स का कुल रकबा 0.1020 हे० में से विक्रीत रकबा 0.0453 हे०, कुल रकबा 0.6630 हे० में से विक्रीत रकबा 0.2008 हे० अर्थात् विक्रेता का सम्पूर्ण भाग मा० गु० 60 ख से विक्रेता:- श्री राम खेलावन कन्नौजिया पुत्र राम लाल निवासी दोना लखनऊ उ० प्र० का नाम निरस्त करके क्रेता- मुख्यमंत्री शहरी विस्तारीकरण योजना त्रन्तगत वरूण विहार आवासीय योजना लखनऊ विकास प्राधिकरण लखनऊ नाम जरिए पंजीकृत विक्रय पत्र दिनांक 23.02.2026 सं० भू० अंकित हो। बाद अमलदरामद पत्रावली दाखिल दफ्तर हों।

Disclaimer :

उपरोक्त सूचना मात्र सूचनार्थ है तथा राजस्व न्यायालय कम्प्यूटरीकृत प्रबन्धन प्रणाली (RCCMS) में उपलब्ध अद्यतन सूचना पर आधारित है, इस सूचना की कोई विधिक मान्यता नहीं होगी। वास्तविक सूचना की पुष्टि सम्बंधित न्यायालय / न्यायालयों की पत्रावली / पत्रावलियों से की जा सकती है।"



2936
0.56 908

न्यायालय :- नायब तहसीलदार, खुशहालगंज (पी-2)
पीठासीन अधिकारी का नाम:- जितेंद्र कुमार शर्मा
मण्डल :लखनऊ, जनपद :लखनऊ, तहसील :सरोजनीनगर
कम्प्यूटरीकृत वाद संख्या:- T2026104618561
वाद संख्या:- 18561/2026
प्रवेश कुमार (नायब तहसीलदार) बनाम लईक अहमद
उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता - 2006, अंतर्गत धारा:- 34
" अंतिम आदेश "
आदेश तिथि:- 05/06/2026

अतः आदेश दिया जाता है कि ग्राम- दोना परगना काकोरी तहसील सरोजनीनगर जिला लखनऊ की खतौनी वर्ष 1426-1431 फसली के खाता संख्या 00777 की खसरा सं० 1735 का कुल रकबा 0.0890हे० में से विकीत रकबा 0.0445हे०, खसरा सं० 1869 का कुल रकबा 0.0890हे० में से विकीत रकबा 0.0445हे०, खसरा सं० 2004 का कुल रकबा 0.0510हे० में से विकीत रकबा 0.0255हे०, खसरा सं० 1697 का कुल रकबा 0.0380हे० में से विकीत रकबा 0.0190हे०, खसरा सं० 2494 मि० का कुल रकबा 0.7590हे० में से विकीत रकबा 0.0759हे०, खसरा सं० 1401 का कुल रकबा 0.2660हे० में से विकीत रकबा 0.0887हे०, खसरा सं० 2936स का कुल रकबा 0.5690हे० में से विकीत रकबा 0.0630हे०, कुल रकबा 1.8610 हे० में से विकीत रकबा 0.3611हे० अर्थात विक्रेता का सम्पूर्ण भाग मा०गु० 60ख से विक्रेता:- श्री लईक अहमद पुत्र मो० जमील निवासी दोना काकोरी लखनऊ उ०प्र० का नाम निरस्त करके क्रेता- मुख्यमंत्री शहरी विस्तारीकरण योजनान्तर्गत वरूण विहार आवासीय योजना लखनऊ विकास प्राधिकरण लखनऊ नाम जरिए पंजीकृत विक्रय पत्र दिनांक 04. 12.2025 सं०भू० अंकित हो। बाद अमलदरामद पत्रावली दाखिल दफ्तर हो।

Disclaimer :

उपरोक्त सूचना मात्र सूचनार्थ है तथा राजस्व न्यायालय कम्प्यूटरीकृत प्रबन्धन प्रणाली (RCCMS) में उपलब्ध अद्यतन सूचना पर आधारित है, इस सूचना की कोई विधिक मान्यता नहीं होगी। वास्तविक सूचना की पुष्टि सम्बंधित न्यायालय / न्यायालयों की पत्रावली / पत्रावलियों से की जा सकती है।"

6/20/26, 12:34 PM

Court Order Print

6/20/26, 12:30 PM

Court Order Print



2936
0.569080

न्यायालय :- नायब तहसीलदार, खुशहालगंज (पी-2)
पीठासीन अधिकारी का नाम:- जितेंद्र कुमार शर्मा
मण्डल :लखनऊ , जनपद :लखनऊ , तहसील :सरोजनीनगर
कम्प्यूटरीकृत वाद संख्या:- T2026104618562
वाद संख्या:- 18562/2026
ज्ञानेन्द्र प्रताप शुक्ला (नायब तहसीलदार) बनाम राम खेलावन
उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता - 2006 , अंतर्गत धारा:- 34
" अंतिम आदेश "
आदेश तिथि:- 05/06/2026

अतः आदेश दिया जाता है कि ग्राम- दोना परगना काकोरी तहसील सरोजनीनगर जिला लखनऊ की खतौनी वर्ष 1426-1431 फसली के खाता संख्या 00073 की खसरा सं० 2936सं का कुल रकबा 0.5690हे० में से विकीत रकबा 0.1897 हे०, खसरा सं० 1428सं का कुल रकबा 0.0760हे० में से विकीत रकबा 0.0253हे० खसरा सं० 1468सं का कुल रकबा 0.0250हे० में से विकीत रकबा 0.0084 हे० खसरा सं० 1527 का कुल रकबा 0.0250 हे० में से विकीत रकबा 0.0084हे० खसरा सं० 1531 का कुल रकबा 0.1140हे० में से विकीत रकबा 0.0380हे० कुल रकबा 0.8090 हे० में से विकीत रकबा 0.2698हे० अर्थात् विक्रेता का सम्पूर्ण भाग मा०गु० 60ख से विक्रेता:- मो० असलम पु. मो० अमसूम उर्फ मासूम अलली अहमदाबाद कटौली मलिहाबाद लखनऊ उ०प्र० का नाम निरस्त करके क्रेता- मुख्यमंत्री शहरी विस्तारीकरण योजनातगत वरूण विहार आवासीय योजना लखनऊ विकास प्राधिकरण लखनऊ नाम जरिए पंजीकृत विक्रय पत्र दिनांक 18.12.2025 सं०भू० अंकित हो। बाद अमलदरामद पत्रावली दाखिल दफ्तर हो।

Disclaimer :

उपरोक्त सूचना मात्र सूचनार्थ है तथा राजस्व न्यायालय कम्प्यूटरीकृत प्रबन्धन प्रणाली (RCCMS) में उपलब्ध अद्यतन सूचना पर आधारित है , इस सूचना की कोई विधिक मान्यता नहीं होगी। वास्तविक सूचना की पुष्टि सम्बंधित न्यायालय / न्यायालयों की पत्रावली / पत्रावलियों से की जा सकती है।"